

245

288
2-6-14

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर पीठ रीवा (म0प्र0)



R-201-

R-2110-1114

श्री. शारदा प्रसाद मिश्रा...
द्वारा आज दिनांक... 02-06-14 को
प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

जगजीवन लाल तनय स्वर्गीय गंगा प्रसाद वैश्य उम्री वर्ष
निवासी ग्राम तिघरा, थाना व तहसील सिगरौली, जिला सिगरौली
(म0प्र0) ————— आवेदक

बनाम

दफ्तर हैदर

30
7-7-14

1- श्याम कार्तिक तनय रामअनुग्रह निवास स्थान ग्राम तिघरा, थाना व
तहसील सिगरौली, जिला सिगरौली (म0प्र0)

2- म0प्र0 राज्य ————— अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध सीमांकन आदेश न्यायालय
राजस्व निरीखक मण्डल शासन तहसील
सिगरौली जिला सिगरौली म0प्र0, रा0प्र0क0-
03/अ-12/2013-14 आदेश दिनांक
30/12/2013

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व
संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

आधार निगरानी निम्नलिखित है :-

1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सीमांकन की कार्यवाही
एवं उस पर पारित आदेश विधि व प्रक्रिया के विरुद्ध होने से
निरस्त किये जाने योग्य है ।

2- यह कि सीमांकन कार्यवाही में सरहदी काश्तकारों को सूचना दिये
बिना तथा प्रकरण में पक्षकार बनाये बिना सीमांकन की कार्यवाही

Handwritten signature/initials.


245

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-2110-II/14

जिला-सिंगरौली

जगजीवनलाल वैश्य / श्याम कार्तिक

(1)	(2)
19.12.18-	<p>1. आवेदक की श्री अनिल तिवारी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल शासन, तहसील सिंगरौली, जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 03/अ-12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 30.12.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सिंगरौली के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 15.03.19 को कलेक्टर, जिला सिंगरौली के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>